



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जेल विभाग में कार्यरत् प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2013

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	23.03.2013
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	21.04.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	22.04.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	01.05.2013
परीक्षा दिनांक व दिन	19.05.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/- देय होगा।	

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
19.05.2013 (रविवार)	अपराह्न 02:00 बजे से	अपराह्न 02:00 बजे से	अपराह्न 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	अपराह्न 02:10 बजे	अपराह्न 02:10 से 02:15 बजे तक (05 मिनट)	अपराह्न 02:15 से 05:15 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा हाल में फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जेल विभाग में कार्यरत् प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2013

विषय-सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय-1 – जेल मुख्यालय, भोपाल के विभागीय चयन नियम	3-6
2.	अध्याय-2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	7-11
3.	अध्याय-3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	12
4.	प्रारूप-1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	13
5.	प्रारूप-2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	14

अध्याय-1

विभागीय चयन नियम

1.1 चयन संबंधी अनुदेश :

जेल मुख्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/952/सामान्य-स्थापना/13 दिनांक 23.11.2012 के अनुसार जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जेल विभाग में कार्यरत प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2013 के लिए आवेदन कर रहे सभी विभागीय कर्मचारियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ :-

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।
- (स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पदों की तालिका :-

(अ) प्रहरी संवर्ग के नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों का विवरण:-

स.क्र.	श्रेणी	ओपन	योग
01	अनारक्षित	08	08
02	अनुसूचित जाति	02	02
03	अनुसूचित जनजाति	06	06
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00
योग:-		16	16

(ब) शिक्षक/ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों का विवरण:-

स.क्र.	श्रेणी	ओपन	योग
01	अनारक्षित	04	04
02	अनुसूचित जाति	00	00
03	अनुसूचित जनजाति	01	01
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00
योग:-		05	05

(द) लिपिक संवर्ग के नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों हेतु सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों का विवरण:-

स.क्र.	श्रेणी	ओपन	योग
01	अनारक्षित	03	03
02	अनुसूचित जाति	00	00
03	अनुसूचित जनजाति	02	02
04	अन्य पिछडा वर्ग	00	00
योग:-		05	05

1.4 पदनाम वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

1.4.1 वेतनमान :-

पदनाम	वेतनमान
सहायक जेल अधीक्षक	रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड-पे

1.5 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक अर्हता एवं अन्य अर्हता :-

परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संवर्ग का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु	10+2 प्रणाली के अंतर्गत इंटरमीडिएट अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा दिनांक 1.1.2013 की स्थिति में उत्तीर्ण होना चाहिए।
	न्यूनतम शारीरिक अर्हता
	1. पुरुष हेतु:- ऊंचाई 165 से.मी. होना चाहिए तथा सीने का माप बगैर फुलाए 80 से.मी. होना चाहिए। दोनो आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए।
	1. महिला हेतु:- ऊंचाई 158 से.मी. कम से कम होना चाहिए। इनके लिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
	अन्य अर्हता
	01.01.2013 की स्थिति में नियमित रूप से कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होना चाहिए।

नोट:- ऐसे अभ्यार्थी को जो उपरोक्तानुसार निर्धारित सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक योग्यता आदि पूर्ण नहीं करते हैं, आवेदन न करें।

1.6 आयु सीमा का विवरण:-

विभागीय चयन परीक्षा होने के कारण लागू नहीं।

1.7 चयन का आधार:-

लिखित परीक्षा:-	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार 200 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न का एक अंक) के एक प्रश्न-पत्र तीन घंटे की समयवधि का होगा।
साक्षात्कार	20 अंको का साक्षात्कार जेल मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जावेगा।

नोट:- जेल मुख्यालय, भोपाल द्वारा सफल उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख साक्षात्कार के पूर्व किया जायेगा यह नापजोख केवल क्वालीफाईन स्वरूप का होगा इसमें कोई पूर्णांक तथा प्राप्तांक नहीं होंगे। शारीरिक नापजोख में योग्य पाये जाने पर ही लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांको के आधार पर मेरिट अनुसार चयन किया जावेगा।

1.8 लिखित परीक्षा एवं चयन का आधार:-

सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जेल विभाग में कार्यरत प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2013 हेतु मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन 01 पाली में अपराह्न 02.00 बजे से 05.15 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों (प्रत्येक प्रश्न का 01 अंक) का 03 घण्टे का 01 प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये जायेगे। 200 अंको की लिखित परीक्षा के अतिरिक्त 20 अंको का साक्षात्कार जेल मुख्यालय स्तर पर आयोजित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	पाठ्यक्रम	अंक	कुल अंक	परीक्षा का स्तर
सहायक जेल अधीक्षक	म0प्र0 जेल नियमावली	120	200	विभागीय नियमों का स्तर
	मूलभूत नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 एवं संशोधित यात्रा भत्ता नियम	40		
	सामान्य ज्ञान	40		इन्टर मीडिएट (बारहवीं) स्तर
कुल अंक:-		200		

1.9 परीक्षा परिणाम:-

प्रहरी संवर्ग, शिक्षक/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित रिक्त सहायक जेल अधीक्षक के पदों के विरुद्ध आयोजित लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मण्डल द्वारा जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का उल्लेख नहीं रहेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार प्रत्येक पद हेतु 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नम्बर क्रम में श्रेणीवार/संवर्गवार सूची आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार कर जेल मुख्यालय को साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापजोख में योग्य पायेजाने पर ही साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा। साक्षात्कार की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। जेल मुख्यालय द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंको का विवरण मण्डल को उपलब्ध

कराया जावेगा। तदनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार के अंको को समाहित करते हुए श्रेणीवार/संवर्गवार अंतिम परीक्षा परिणाम मण्डल स्तर से जारी किया जावेगा।

1.10 प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के शैक्षणिक व अन्य समस्त दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन साक्षात्कार के पूर्व जेल मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।

1.11 प्रशिक्षण :-

सहायक अधीक्षक जेल के पद पर नियुक्ति/पदेन्नति के उपरांत निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ करने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जाएगी। प्रशिक्षण में छूट देने के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा। प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

1.12 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

- (क) लिखित परीक्षा में पररूपधारण (इम्प्रेसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
- (घ) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।
- (ङ) अभ्यर्थियों के ऊपर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे।

1.13 यात्रा व्यय का भुगतान:-

लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को मण्डल/विभाग द्वारा कोई यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1.14 न्याय क्षेत्र/अधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

-----0-----

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
संयुक्त परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जायेंगे, जिसमें चाही गई समस्त जानकारियाँ दर्शाना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- 2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा नियुक्त पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य जानकारी पाई जाने पर नियुक्ति के किसी भी चरण में अथवा नियुक्ति के पश्चात भी ऐसी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 2.4 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता है ? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नहीं भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।
- 2.5 स्कूटनी/ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-
आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कूटनी की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एवं हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्कूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.6 आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश:-
(i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
(iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
(iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
(v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
(vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किया जाना होगा।
(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।
- (ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्कैनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

2.7 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन:-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- 2.7.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस (मुख पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन करने की तिथियों) तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 2.7.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- 2.7.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 2.7.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2.8 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन-पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :-

लिखित परीक्षा 01 पाली में अपराह्न 02.00 बजे से 05.15 बजे तक केवल भोपाल शहर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

2.10 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस/आयकर विभाग का पेनकार्ड/पासपोर्ट/बैंक पासबुक/शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।

- 2.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।
- 2.12 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-
 अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-
- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
 (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
 (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
 (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
 (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
 (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
 (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
 (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
 (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
 (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
 (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

- 2.13 मूल्यांकन पद्धति :-
 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- 2.14 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :-
 परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-
1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
 3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 4. कोई भी विकल्प सही न हो।
 5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

- 2.15 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-
प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-1 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- 2.16 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-
- (1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-2(मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आव यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।
 - (2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित मॉडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को "की" समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। "की" समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2.14 अनुसार "की" समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।
- 2.17 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-
अध्याय-1, 2 व 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा।

2.18 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.19 मण्डल का क्षेत्राधिकार :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.20 अभिलेखों का संधारण :-

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.21 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

अध्याय—3

विस्तृत पाठ्यक्रम

1- मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल :-

- जेल नियम 171 से 366 (उप जेल अधीक्षक (जेलर), सहायक जेल अधीक्षक (उप जेलर), मुख्य प्रहरी, प्रहरी, द्वारपाल समस्त जेल अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारीगण के कर्तव्य एवं दायित्व तथा बंदियों का प्रवेश, बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, बंदियों पर पहरा, बंदियों की फरारी एवं बंदियों की रिहाई आदि)
- जेल नियम- 518 से 613 (बंदियों का आहार, जेलों में प्रतिषिद्ध वस्तुएँ, बंदियों के वस्त्र तथा बिस्तर आदि)
- जेल नियम-645 से 743 (श्रम तथा उद्योग, बंदियों का नियोजन, भेंट तथा संसूचना, (पत्र व्यवहार), दण्डादेशों का परिहार तथा लघुकरण, विशेषाधिकारों की हानि, जेल अपराध एवं दण्ड आदि)

2- मूलभूत नियम :-

- मूल नियम-9 (परिभाषाएँ)
- मूल नियम-12 (वरिष्ठता)
- मूल नियम-26 (वेतनवृद्धि हेतु गिनी जाने वाली सेवा)
- मूल नियम-49 (दो अथवा अधिक पदों पर नियुक्त शासकीय सेवकों को वेतन एवं भत्तें)
- मूल नियम-54 (बहाल होने पर वेतन और भत्ते)
- मूल नियम-56 (अधिवार्षिकी आयु तथा पदग्रहण काल)

3- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम) 1977 :-

- अर्जित अवकाश की गणना
- नये भर्ती के कर्मचारियों के लिये अवकाश की गणना
- अर्धवेतनिक एवं लघुकृत अवकाश की गणना
- असाधारण एवं अदेय अवकाश की गणना
- प्रसुति अवकाश
- सेवा निवृत्ति के पश्चात अवकाश लेखा एवं शेष बचे अर्जित अवकाश का नगदीकरण ।
- अवकाश वेतन

4- यात्रा नियम – संशोधित मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम

5- सामान्य ज्ञान- 12 वीं स्तर का सामान्य ज्ञान

प्रारूप-1
(देखें नियम 2.15)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान

दिनांक

प्रारूप-2
(देखें नियम 2.16)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

सहमति प्रमाण-पत्र

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जेल मुख्यालय, भोपाल के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जेल विभाग में कार्यरत प्रहरी संवर्ग, अनुदेशक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2013 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1, 2 एवं 3 में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :-.....

पदनाम :-.....

सील :-.....